भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 275

दिनांक 04 फरवरी, 2025

कृषि से जुड़ी प्रौद्योगिकी का उन्नयन

275. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि प्रौद्योगिकी के उन्नयन, कृषि पद्धतियों में आधुनिक कौशल के अनुप्रयोग, कृषि विपणन के अवसरों को बढ़ाने, मूल्य स्थिरीकरण, खेती में नवाचार अपनाने, उर्वरक, जल और अन्य आदानों के उपयोग में बर्बादी को कम करने और कृषि-उद्योग संपर्क में सुधार करने के लिए कोई पहल की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख): सरकार ने उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय में सुधार के लिए कृषि प्रौद्योगिकी को उन्नत करने हेतु कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। डिजिटल कृषि मिशन एक प्रमुख पहल है जिससे बेहतर फसल निगरानी, मृदा प्रबंधन और मौसम के पूर्वानुमान के बारे में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई), बिग डेटा और भू-स्थानिक डेटा जैसी तकनीकों का लाभ उठाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने पिछले 10 वर्षों के दौरान 2900 किस्में विकसित की हैं, जिनमें से 2661 किस्में एक या एक से अधिक जैविक/या अजैविक तनाव के प्रति सहनशील है। कृषि के उत्पादन और फसल कटाई के बाद के उत्पादन के लिए लगभग 156 तकनीकें/ मशीनें/ प्रक्रिया प्रोटोकॉल विकसित किए गए। पशु, मत्स्य पालन, जलीय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने हेतु पशु, मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। पशु एवं मत्स्य स्वास्थ्य के प्रबंधन हेतु निदान एवं टीकों का विकास किया गया है तथा प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के लिए भी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। नई विकसित प्रौद्योगिकियों के बारें में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) छोटे और सीमांत किसानों तथा अन्य हितधारकों के बीच प्रशिक्षण, खेत-स्तरीय प्रदर्शन, किसान इंटरफेस बैठकें, कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथा कृषि को और अधिक कुशल एवं लाभदायक बनाते हैं।

सरकार ने उन्नत लॉजिस्टिक्स हेतु कृषि विपणन को बढ़ाने के लिए ई-एनएएम, किसान रेल और किसान उड़ान जैसी कई पहल आरंभ की हैं। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने का उद्देश्य बिचौलियों को कम करना तथा किसानों के लिए बाजार तक पहुंच को सुगम करना है। इसके अलावा, एग्री-टेक स्टार्ट-अप तथा एग्री-बाजार (AGRI-Bazaar) जैसे ऑनलाईन प्लेटफॉर्म किसानों को खरीददारों से सीधे जोड़ने में मदद करते हैं, जिससे उनके लिए बेहतर मूल्य निर्धारण और उनकी बढ़ी हुई आय सुनिश्चित होती है।

आईसीएआर द्वारा रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग और मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों स्रोतों (खाद, जैव-उर्वरक आदि) के सम्मिलित उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिश की गई हैं। ये सभी उपाय देश में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करते हैं। साथ ही, आईसीएआर द्वारा सिंचाई जल को काफी हद तक बचाने के लिए विभिन्न फसलों हेतु सूक्ष्म सिंचाई सहित कुशल सिंचाई तकनीकों के माध्यम से पानी के विवेकपूर्ण उपयोग का सुझाव दिया गया है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत भी जल की बर्बादी को कम करने तथा उत्पादकता में सुधार करने के लिए मिट्टी के अनुकूल उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा सरकार जल उपयोग दक्षता में सुधार, लागत कम करने, और कृषि आय बढ़ाने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को सहयोग देती है। जबकि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को बढ़ावा दिया है जो मूल्य-वर्धित प्रसंस्करणों को बढ़ाने, कृषि उत्पादों की सेल्फ-लाइफ में सुधार करने तथा किसानों को कृषि उद्योगों से जोड़ने पर केंद्रित है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

****